संख्या-208/2023/369रासनि/23-1-23/009-06आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 14 फरवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से प्रयागराज मण्डल के जनपद कौशाम्बी के 21 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3058/CE-HQ-1/RSN 5054/PRJ/2022-23, दिनांक 07.02.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार प्रयागराज मण्डल के जनपद कौशाम्बी के 21 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 14,60,35,000/- (रूपये चौदह करोड़ साठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. कौशाम्बी	सम्पर्क मार्ग से कुशवा फाटक से छबीलेपुर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	54 /2021 /181 रासनि /23-1-21-84 रासनि/20- दिनांक-18-02-2021	56.41	33.14	8.63	14.64	14.64
2	प्रा.ख. कौशाम्बी	सिराथू धाता मार्ग से चकनुरपुर डोडापुर होते हुए भडेहरी तक मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	162/2021/708 रासनि/23-1-21-84 रासनि/20- दिनांक-23-07-2021	996.78	518.39	210.85	267.54	267.54
3	प्रा.ख. कौशाम्बी	रामपुर मड्की हटवा लिंक मार्ग से शिव प्रकाश पाल के घर तक नवनिर्माण का कार्य(छूटी कड़ी)	174/2021/742 रासनि/23-1-21-40 रासनि/20 टीसी-दिनांक-13-08-2021	50.69	12.67	8.72	29.30	29.30
4	प्रा.ख. कौशाम्बी	जी0टी0रोड अटसराय मार्ग से भरेठा बाग नहर पुलिया से लुकिया सम्पर्क मार्ग (छूटी कड़ी)	291/2021/1290 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21- दिनांक-18-11-2021	78.49	22.24	9.83	46.42	46.42
5	प्रा.ख. कौशाम्बी	गोरियों माइनर से निहालपुर सम्पर्क मार्ग। (छूटी कड़ी)	350/2021/1576 रासनि/23-1-21-118 रासनि/18- दिनांक-16-12-2021	73.83	28.77	0.87	44.19	44.19
6	प्रा.ख. कौशाम्बी	लुकिया सम्पर्क मार्ग से नब्बे तक सम्पर्क मार्ग(छूटी कड़ी)।	350/2021/1576 रासनि/23-1-21-118 रासनि/18- दिनांक-16-12-2021	84.79	5.96	11.18	67.65	56.65
7	प्रा.ख. कौशाम्बी	गुलामीपुर से चन्देलन का पुरवा मार्ग का नवनिर्माण कार्य(छूटी कड़ी)	350/2021/1576 रासनि/23-1-21-118 रासनि/18-	58.39	4.18	8.51	45.7	38.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			दिनांक-16-12-2021					
8	प्रा.ख. कौशाम्बी	फरीदगंज से गौशाला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य(छूटी कड़ी)	350/2021/1576 रासनि/23-1-21-118 रासनि/18- दिनांक-16-12-2021	105.14	7.53	14.19	83.42	69.92
9	प्रा.ख. कौशाम्बी	दारानगर में ज्वालारानी मन्दिर से विजयीपुर होते हुए सिराथू वाया रामलाल का पुरवा के अवशेष भाग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	361/2021/1621 रासनि/23-1-21-16 रासनि/21- दिनांक-21-12-2021	446.07	40.21	67.42	338.44	223.03
10	प्रा.ख. कौशाम्बी	मूरतगंज राजापुर (राज्य मार्ग-94) का टू लेन पेव्ड चैड़ीकरण का कार्य।	05/2022/1816 रासनि/23-1-21-08 रासनि/21- दिनांक-01-01-2022	462.75	112.55	68.85	281.35	231.37
11	प्रा.ख. कौशाम्बी	सिराथू सरांय अकिल मार्ग (प्र0जि0मा0-145) के किमी0-1 से श्री अजय के घर तक सी0सी0 मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	03/2022/1846 रासनि/23-1-21-16 रासनि/21- दिनांक-01-01-2022	44.68	3.44	5.58	35.66	30.16
12	प्रा.ख. कौशाम्बी	जैतीपुर नहर से श्री रामसिंह के घर से श्री सदाशिव के घर तक सी0सी0 मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	03/2022/1846 रासनि/23-1-21-16 रासनि/21- दिनांक-01-01-2022	80.33	5.57	8.67	66.09	55.59
13	प्रा.ख. कौशाम्बी	केसी का पुरा सम्पर्क मार्ग (छूटी कड़ी)	01/2022/1857 रासनि/23-1-21-118 रासनि/18- दिनांक-01-01-2022	61.06	4.71	6.07	50.28	42.78
14	प्रा.ख. कौशाम्बी	मलाक पचम्भा से शहजादपुर सम्पर्क मार्ग। (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	63.95	17.39	7.42	39.14	31.14
15	प्रा.ख. कौशाम्बी	सिराथू कालाकांकर रोड से चौरासी होते हुये बंगाली चक तक मार्ग का निर्माण कार्य। (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	117.89	8.58	17.13	92.18	77.18
16	प्रा.ख. कौशाम्बी	कन्थुवा मार्ग से गड़ेरियन का पूरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	84.88	5.98	15.12	63.78	52.78
17	प्रा.ख. कौशाम्बी	कन्थुवा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से मरघटा गंगा नदी तक नवनिर्माण कार्य। (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	53.03	4.11	9.45	39.47	32.97
18	प्रा.ख. कौशाम्बी	पक्की सड़क पतौना शमसाबाद रोड के पीताम्बर गांव से नहर तक मार्ग की छूटी कड़ी का नवनिर्माण कार्य।	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	65.57	4.61	7.97	52.99	44.49
19	प्रा.ख. कौशाम्बी	बिछौरा भड़ेसर मार्ग से सूरज पाल लक्ष्मी देवी इण्टर कालेज तक नवनिर्माण कार्य (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	49.03	3.81	4.58	40.64	34.64
20	प्रा.ख. कौशाम्बी	अलीपुरजीता में कल्लू धोबी के दरवाजे से मुकेश के घर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	13.18	1.14	2.31	9.73	8.23
21	प्रा.ख. कौशाम्बी	ग्राम कनवार में शीलू पाण्डेय के घर से धारा पासी के घर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य (छूटी कड़ी)	04/2022/1853 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टीसी-दिनांक-01-01-2022	39.28	2.86	2.29	34.13	29.13
							कुल योग-	1460.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 14,60,35,000/- (रूपये चौदह करोड़ साठ लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-208/2023/369रासनि/23-1-23/009-06आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।